

शरणार्थी और नैतिकता

मुख्य परीक्षा के लिये :

शरणार्थी नैतिकता, शरणार्थियों से संबंधित प्रमुख मुद्दे, उनकी स्थिति में सुधार के उपाय ।

वैश्विक शरणार्थी संकट हमारे समय की सबसे गंभीर मानवीय चुनौतियों में से एक है, जिसमें लाखों लोग अपने गृह देशों से दूर सुरक्षा और सम्मान की तलाश कर रहे हैं। **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR)** के अनुसार, वर्ष 2023 के अंत तक, विश्व भर में 117.3 मिलियन से अधिक बलपूर्वक वसिस्थापित लोग थे, जिनमें यूएनएचसीआर के अधिदेश के तहत 31.6 मिलियन से अधिक शरणार्थी शामिल हैं, जो 26 मिलियन शरणार्थियों की तुलना में बहुत अधिक संख्या दर्शाता है।

शरणार्थी कौन हैं?

- शरणार्थी: **शरणार्थी सम्मेलन, 1951** के अनुसार शरणार्थी वे लोग हैं जो अपने देश से पलायन करने के लिये मजबूर हैं और सुरक्षा की तलाश में दूसरे देश में जाते हैं।
 - वे अपने देश वापस लौटने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि वे कौन हैं, वे क्या मानते हैं या क्या कहते हैं या सशस्त्र संघर्ष, हिंसा या गंभीर सार्वजनिक अव्यवस्था के कारण उन पर अत्याचार किया जाएगा।
 - अंतरराष्ट्रीय संरक्षण की आवश्यकता वाले सभी शरणार्थियों और अन्य लोगों में से 73% केवल पाँच देशों **अफगानिस्तान, सीरिया, वेनेजुएला, यूक्रेन और सूडान** से आते हैं।
- आंतरिक रूप से वसिस्थापित व्यक्ति (आईडीपी): **आईडीपी** वे व्यक्ति होते हैं जिनमें अपने घरों से पलायन के लिये मजबूर किया गया है, लेकिन उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार नहीं की है। वे विभिन्न स्थानों, जैसे कि आस-पास के शहरों, स्कूलों, बस्तियों, आंतरिक शिविरों या यहाँ तक कि वनों और खेतों में सुरक्षा का प्रबंध करते हैं।
 - आईडीपी में आंतरिक संघर्षों और प्राकृतिक आपदाओं से वसिस्थापित लोग शामिल हैं, जो उन्हें यूएनएचसीआर द्वारा सहायता प्राप्त सबसे बड़ा समूह बनाते हैं। शरणार्थियों के विपरीत, **आईडीपी को अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है** और प्रायः वे **कई प्रकार की सहायता के लिये योग्य नहीं होते हैं**, क्योंकि वे अपनी सरकार के कानूनी संरक्षण में रहते हैं।
 - वर्ष 2023 के दौरान, **आंतरिक वसिस्थापन** में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन **सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, म्यांमार, सोमालिया, सीरिया और यूक्रेन** में हुए।

शरणार्थी संकट में योगदान देने वाले कारक क्या हैं?

- सशस्त्र संघर्ष: सीरिया, अफगानिस्तान और दक्षिण सूडान जैसे चल रहे युद्धों के कारण बड़े पैमाने पर वसिस्थापन हुआ है। UNHCR के अनुसार, वर्ष 2011 में गृहयुद्ध की शुरुआत के बाद से 6.8 मिलियन से अधिक सीरियाई पड़ोसी देशों में भाग गए हैं, जिससे यह विश्व की सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी में से एक बन गया है। अफगानिस्तान की स्थिति विशेषकर वर्ष 2021 में तालबिन के सत्ता में लौटने के बाद ने भी शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर पलायन को जन्म दिया है।
- उत्पीड़न: जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अक्सर व्यवस्थित हिंसा का सामना करना पड़ता है, जैसा कि **म्यांमार में रोहिंगिया** और **इराक में यजीदियों के मामले में देखा गया है**। संयुक्त राष्ट्र ने रोहिंगिया की स्थिति को नृजातीय संकट का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण बताया है, जिसमें 1 मिलियन से अधिक लोग हिंसा से बचने के लिये बांग्लादेश से पलायन कर गए हैं।
- पर्यावरणीय आपदाएँ: **जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ तेजी से आबादी को वसिस्थापित कर रही हैं। आंतरिक वसिस्थापन नगिरानी केंद्र (IDMC)** के अनुसार, जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण वर्ष 2022 में **23.7 मिलियन लोग वसिस्थापित हुए**।
 - अनुमानों से ज्ञात होता है कि वर्ष **2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण 200 मिलियन लोग वसिस्थापित हो सकते हैं**, जिससे इन वंचित समुदाय के संरक्षण के लिये राष्ट्रों की ज़िम्मेदारी के संबंध में तत्काल नैतिक प्रश्न उठ खड़े होते हैं।
- आर्थिक अस्थिरता: **गरीबी**, अवसरों की कमी और प्रणालीगत असमानता सहित आर्थिक कारक भी व्यक्तियों को अन्य देशों में शरण लेने के लिये आकर्षित कर सकते हैं।
 - उदाहरण के लिये, वेनेजुएला में आर्थिक पतन के कारण लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा प्रवासन संकट उत्पन्न हो गया है, जहाँ लाखों लोग बेहतर जीवन स्थितियों की तलाश में पड़ोसी देशों की ओर पलायन कर रहे हैं।
- भारत में:
 - कानूनी ढाँचे का अभाव: **भारत शरणार्थी सम्मेलन, 1951** या इसके वर्ष **1967 के प्रोटोकॉल** का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, जिसके

परिणामस्वरूप देश के भीतर शरणार्थियों के लिये अधिक परिभाषा का अभाव है। अंतरराष्ट्रीय मानकों की यह अनुपस्थिति शरण चाहने वाले वास्तविक शरणार्थियों और आर्थिक प्रवासियों के बीच अंतर करने में चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।

- **पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता:** भारत कई देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनोंने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल, गृह युद्ध और जातीय संघर्ष का सामना किया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर वसि्थापन हुआ है।
 - ऐतिहासिक घटनाओं, जैसे **भारत का विभाजन, 1947**, वर्ष **1971** में बांग्लादेश **मुक्ति युद्ध**, वर्ष **1983 से 2009 तक श्रीलंका का गृह युद्ध** तथा **म्यांमार में चल रहा रोहिंगिया संकट**, के कारण भारत में शरणार्थियों की भारी आमद हुई है।
- **जातीय और धार्मिक उत्पीड़न:** मानवीय सदिधांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और शरण प्रदान करने की इसकी दीर्घकालिक परंपरा ने शरणार्थियों के आवास में योगदान दिया है।
 - उदाहरण के लिये, वर्ष 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद तिब्बती बौद्धों ने भारत में शरण ली।
- **प्राकृतिक आपदाएँ और पर्यावरणीय कारक:** **बाढ़**, **भूकंप** और **चक्रवात** सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी वसि्थापन हुआ है, जिससे लोग भारत में शरण लेने के लिये मजबूर हुए हैं।
 - उदाहरण के लिये, 2015 में नेपाल में आए भीषण **भूकंप** के बाद सुरक्षा और सहायता की तलाश में लाखों नेपाली लोगों को भारत की सीमा पार कर, विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कषेत्रों में आने के लिये मजबूर होना पड़ा था।
- **व्यापक शरणार्थी नीति और पारगम्य सीमाओं का अभाव:** **पड़ोसी देशों के साथ** भारत की लंबी और पारगम्य सीमाओं तथा **व्यापक शरणार्थी नीति का अभाव**, शरणार्थियों के आगमन के प्रभावी प्रबंधन और वनियमन को जटिल बना देता है।
 - पछिले कुछ वर्षों में, आर्थिक प्रवासी और विशेष रूप से बांग्लादेश से उत्पीड़न के कारण पलायन करने वाले शरणार्थी, असम और पश्चिम बंगाल जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आ गए हैं।

शरणार्थी मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण को नरिदेशित करने वाले नैतिक ढाँचे क्या हैं?

- **उपयोगितावाद:** यह दृष्टिकोण **अधिकतम लोगों के लिये अधिकतम सुख पर बल देता है**। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से, शरणार्थियों की सहायता करने से मेजबान समुदायों के लिये सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं, जिसमें आर्थिक योगदान और सांस्कृतिक समृद्धि शामिल है।
 - अध्ययनों से ज्ञात होता है कि **शरणार्थी प्रायः शर्म की कमी को पूरा करते हैं** और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान देते हैं, जिससे यह धारणा चुनौती देती है कि वे बोझ हैं। उदाहरण के लिये, विभिन्न यूरोपीय देशों में किये गए शोध से संकेत मिलता है कि शरणार्थी आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जब उन्हें आवश्यक सहायता और एकीकरण उपाय प्रदान किये जाएँ।
- **कर्त्तव्य परायण नैतिकता:** यह दृष्टिकोण **जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के नैतिक दायित्व पर केंद्रित है, चाहे परिणाम कुछ भी हों**। मानवतावाद का सदिधांत यह नरिदेश देता है कि हमें शरणार्थियों की रक्षा और उनका समर्थन करना नैतिक कर्त्तव्य के रूप में करना चाहिये। यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों में परलक्षित होता है जो राज्यों को शरणार्थियों की रक्षा करने के लिये बाध्य करते हैं। मानवाधिकारों को बनाए रखने की नैतिक अनिवार्यता राष्ट्रीय सीमाओं से परे है और प्रत्येक व्यक्ति की अंतरनहिति गरमा पर बल देती है।
- **सद्गुण नैतिकता:** यह दृष्टिकोण **कार्यों की प्रकृति और इरादों को उजागर करती है। जो समाज कृपा, सहानुभूति और न्याय** जैसे गुणों को विकसित करते हैं, वे शरणार्थी आबादी का प्रभावी ढंग से समर्थन करने की अधिक संभावना रखते हैं। समावेश की संस्कृतिको बढ़ावा देकर, समाज **जेनोफोबिया** का मुकाबला कर सकते हैं और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा दे सकते हैं।
 - सद्गुण नैतिकता व्यक्तियों और समुदायों को उनके नैतिक चरित्र और उन मूल्यों पर चर्च करने के लिये प्रोत्साहित करती है जिनमें वे दूसरों के साथ अपने व्यवहार में अपनाना चाहते हैं।
- **सामाजिक अनुबंध सदिधांत:** यह सदिधांत सुझाव देता है कि व्यक्ति सुरक्षा और समाज में रहने के लाभों के बदले में **कुछ स्वतंत्रताओं को त्यागने के लिये सहमत होते हैं**। शरणार्थियों के संदर्भ में, यह न केवल अपने नागरिकों बल्कि शरण चाहने वालों की भी सुरक्षा करने के लिये राज्यों के दायित्वों के बारे में प्रश्न उठाता है। सामाजिक अनुबंध मानव अधिकारों को बनाए रखने और वंचित समुदाय को सहायता प्रदान करने की सामूहिक उत्तरदायित्व को प्रदर्शित करता है।
- **वैश्विक न्याय:** यह रूपरेखा **राष्ट्रों की परस्पर नरिभरता** और वैश्विक असमानताओं से उत्पन्न नैतिक दायित्वों पर बल देती है। धनी राष्ट्रों का उत्तरदायित्व है कि वे विकट परिस्थितियों में पलायन करने वाले लोगों की सहायता करें, यह ध्यान रखें कि वसि्थापन के संकट की ओर ले जाने वाले कई संकट ऐतिहासिक अन्याय, औपनिवेशिक वरिासत और वैश्विक आर्थिक असमानताओं में नहिति हैं।

शरणार्थियों के प्रति राष्ट्रों की नैतिक और कानूनी उत्तरदायित्व क्या हैं?

शरणार्थियों के प्रति राष्ट्रों के नैतिक और कानूनी दायित्व हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार सदिधांतों पर आधारित हैं:

- **गैर-वापसी:** यह सदिधांत **शरणार्थियों को उन देशों में वापस जाने से रोकता है जहाँ उन्हें** अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिये गंभीर संकटों का सामना करना पड़ता है। यह अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून की आधारशिला है और वंचित समुदाय की रक्षा के लिये नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
 - इस सदिधांत का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें उत्पीड़न और मृत्यु भी शामिल है। देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनकी शरणार्थी संबंधी नीतियाँ इस मौलिक दायित्व के अनुरूप हों।
- **शरण एवं संरक्षण:** देशों को शरण चाहने वालों को **सुरक्षित आश्रय और कानूनी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिये**। इसमें नषिपक्ष और कुशल शरण प्रक्रियाएँ और कानूनी सहायता तक पहुँच शामिल है। शरण मांगने का अधिकार **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 14 में नहिति है**, जो उत्पीड़न से भागने वालों की रक्षा करने की नैतिक अनिवार्यता पर बल देता है। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि पूरी प्रक्रिया के दौरान शरण चाहने वालों के साथ सम्मान और गरमापूर्ण व्यवहार किये जाए।
- **एकीकरण और समर्थन:** शरणार्थियों के लिये नैतिक विचार तत्काल सुरक्षा से आगे बढ़कर समाज में उनके एकीकरण को भी शामिल करते हैं। राष्ट्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिये।
 - सफल एकीकरण विधिता और नवाचार को बढ़ावा देकर शरणार्थियों और मेजबान समुदायों दोनों को लाभ पहुँचाता है। **भाषा कौशल**,

व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम शरणार्थियों की संभावनाओं को बढ़ाते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच संबंध निर्मित करते हैं।

- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** शरणार्थी संकट के प्रति नैतिक प्रतिक्रिया के लिये वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। शरणार्थियों की सुरक्षा और सहायता की उत्तरदायित्व साझा करने के लिये देशों को मलिकर काम करना चाहिये। इसमें **वैश्विक सहायता, पुनर्वास कार्यक्रम और वसिथापन के मूल कारणों को दूर करने के लिये सहयोगात्मक प्रयास शामिल हैं**। बहुपक्षीय समझौते और साझेदारी शरणार्थी संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी एक देश अनुचित बोझ न उठाए।
- **जवाबदेही और नगिरानी:** राष्ट्रों को शरणार्थी संकट के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं की नगिरानी और मूल्यांकन करने के लिये तंत्र स्थापित करना चाहिये, ताकि नीतियों के कार्यान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। स्वतंत्र नगिरानी निकाय यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं कि शरणार्थियों के अधिकारों को बनाए रखा जाए और सरकारें अपने कानूनी और नैतिक दायित्वों का पालन करें।

शरणार्थी नैतिकता के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम मानवाधिकार:** देश अक्सर मानवीय दायित्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को प्राथमिकता देते हैं। यह तनाव **प्रतिबंधात्मक आवरण नीतियों और शरण चाहने वालों के अपराधीकरण को जन्म दे सकता है**।
 - कई देशों में लोकलुभावनवाद के उदय के परिणामस्वरूप सीमा नियंत्रण सख्त हो गया है और शरणार्थियों को स्वीकार करने में अनिच्छा पैदा हो गई है, जिससे अक्सर इस मुद्दे को मानवाधिकारों के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाता है।
- **सार्वजनिक भावना और जेनोफोबिया:** शरणार्थियों के प्रति नकारात्मक सार्वजनिक दृष्टिकोण नैतिक प्रतिक्रियाओं में बाधा डाल सकता है। **गलत सूचना और भय जेनोफोबिया को बढ़ावा दे सकते हैं**, जिससे भेदभाव और सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है।
 - अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मीडिया में शरणार्थियों का नकारात्मक चित्रण सार्वजनिक राय को काफी प्रभावित कर सकता है, जिससे अक्सर भय और गलत धारणाएँ बढ़ जाती हैं।
- **संसाधन की कमी:** कई मेजबान देश, विशेषकर ग्लोबल साउथ में, सीमिति संसाधनों से जूझ रहे हैं। जब शरणार्थियों की जरूरतें स्थानीय आबादी की जरूरतों से **प्रतिस्पर्धा करती हैं**, तो नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न होती हैं।
 - शरणार्थियों के आगमन से सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और आवास पर दबाव पड़ सकता है, जिससे समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है।
- **राजनीतिक जोड़-तोड़:** शरणार्थी संकट को अक्सर राजनीतिक रंग दिया जाता है, जिसमें राजनीतिक नेता शरणार्थियों को व्यापक सामाजिक मुद्दों के लिये बलि का बकरा बनाते हैं। यह जोड़-तोड़ नैतिक प्रतिक्रियाओं को कमजोर कर सकता है और ऐसी नीतियों को जन्म दे सकता है जो मानवीय जरूरतों पर राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देती हैं।
 - शरणार्थियों के लिये वकालत को जटिल राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ना होगा तथा साथ ही करुणा और एकजुटता की नैतिक अनिवार्यताओं पर भी बल देना होगा।
- **दीर्घकालिक समाधान बनाम अल्पकालिक प्रतिक्रियाएँ:** जबकि तत्काल मानवीय सहायता महत्त्वपूर्ण है, दीर्घकालिक समाधानों की भी अत्यधिक आवश्यकता है जो वसिथापन के मूल कारणों का समाधान कर सकें।
 - इसमें **संघर्ष समाधान, मानवाधिकार संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन शामिल हैं**। नैतिक विचारों को तत्काल सहायता से आगे बढ़कर **सतत विकास** और शांति निर्माण प्रयासों को भी शामिल करना चाहिये।

शरणार्थी संकट से निपटने में अंतरराष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका है?

- **यूएनएचसीआर:** शरणार्थियों के लिये संयुक्त **राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर)** को शरणार्थियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। यह पुनर्वास और स्थानीय एकीकरण सहित व्यापक समाधानों की वकालत करता है।
 - यह एजेंसी लाखों वसिथापित व्यक्तियों को **आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवा सहित आवश्यक सेवाएँ भी प्रदान करती है**।
 - शरणार्थियों पर यूएनएचसीआर का वैश्विक समझौता मेजबान देशों के लिये अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समर्थन के महत्त्व पर जोर देता है, तथा यह मानता है कि स्थायी समाधान के लिये सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
- **एनजीओ (NGOs):** गैर-सरकारी संगठन आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं, नीतिगत बदलावों की वकालत करते हैं और शरणार्थी मुद्दों के बारे में जागरूकता में वृद्धि करते हैं। उनके जमीनी स्तर के प्रयास अक्सर सरकारी प्रतिक्रियाओं में अंतराल को भरते हैं।
 - मेडसिनिक्स सैनस फ्रंटियर्स (**डॉक्टरस व्हाइट बॉर्डर्स**) और इंटरनेशनल रेस्क्यू कमिटी जैसे संगठन संकट की स्थिति में शरणार्थियों को चिकित्सा देखभाल और सहायता प्रदान करने में सहायक रहे हैं। उनका काम शरणार्थियों के अधिकारों और सम्मान की वकालत करने में नागरिक समाज के महत्त्व को उजागर करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** शरणार्थी संकट के प्रति नैतिक प्रतिक्रिया के लिये वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। **शरणार्थियों पर वैश्विक समझौते** जैसे समझौतों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ाना और राष्ट्रों के बीच उत्तरदायित्व को साझा करना है।
 - यह समझौता शरणार्थियों के संरक्षण के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण के महत्त्व पर बल देता है, तथा सामूहिक कार्रवाई और साझा जिम्मेदारी की आवश्यकता को स्वीकार करता है।
- **मानवीय सहायता:** अंतरराष्ट्रीय संगठन शरणार्थियों की सहायता के लिये महत्त्वपूर्ण संसाधन प्रदान करते हैं और प्रयासों का समन्वय करते हैं, जिसमें **शिविरों, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये धन मुहैया कराना शामिल है**। सहायता करने की नैतिक अनिवार्यता मानवता के सिद्धांत से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य पीड़ा को कम करना और मानवीय गरमा को बनाए रखना है।
 - सहायता में शरणार्थियों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिये तथा उन्हें अपने जीवन को प्रभावित करने वाले परिणामों में भाग लेने के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिये।
- **वकालत और जागरूकता:** शरणार्थियों के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और नीतिगत बदलावों की वकालत करने में अंतरराष्ट्रीय संगठन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरणार्थियों की कहानियों और अनुभवों को उजागर करके, ये संगठन जनता का समर्थन जुटा सकते हैं और सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।

- वकालत के प्रयासों को समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देने तथा भय और भेदभाव को कायम रखने वाले नकारात्मक आख्यानो का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

शरणार्थी संकट से निपटने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- एक व्यापक कानूनी ढाँचा स्थापित करना: राष्ट्रों को शरणार्थियों के लिये स्पष्ट कानूनी ढाँचा अपनाना चाहिये, जो **शरणार्थी सम्मेलन, 1951** जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप हो। इससे शरणार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और उन्हें आर्थिक प्रवासियों से अलग करने में सुविधा होती है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना: शरणार्थी संकट के लिये सामूहिक वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। देशों को **UNHCR** जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिये, ताकि शरणार्थियों की सुरक्षा और पुनर्वास में समन्वित प्रतिक्रिया और बोझ साझा करना सुनिश्चित हो सके।
- नैतिक शासन सुनिश्चित करना: सरकारों को नीति निर्माण में नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखना, गैर-भेदभाव सुनिश्चित करना, मानव गरमा का सम्मान करना चाहिये और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन करना चाहिये।
- एकीकरण को सुगम बनाना: मेज़बान देशों को शरणार्थियों के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोज़गार और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच के ज़रूरी एकीकरण के अवसर पैदा करने चाहिये। सांस्कृतिक समझ और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम सामाजिक सामंजस्य को बढ़ा सकते हैं।
- मानवीय सहायता प्रदान करना: आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोवैज्ञानिक सहायता सहित तत्काल मानवीय सहायता इस तरह से प्रदान की जानी चाहिये कि शरणार्थियों की गरमा और अधिकारों का सम्मान हो। नरिणय लेने की प्रक्रिया में शरणार्थियों को सशक्त बनाना आवश्यक है।
- मूल कारणों का समाधान : प्रयासों को कूटनीति, विकास सहायता और संघर्ष समाधान तंत्र के माध्यम से **वसि्थापन के मूल कारणों**, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन, का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

नषिकर्ष

शरणार्थी संकट गंभीर नैतिक चुनौतियों प्रस्तुत करता है, जिसके लिये बहुआयामी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। राष्ट्रों को अपने संप्रभु अधिकारों को वंचित समुदाय की रक्षा और सहायता करने के अपने नैतिक दायित्वों के साथ संतुलित करना चाहिये। सहानुभूति और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देकर, और राजनीतिक सुविधा पर मानवीय सिद्धांतों को प्राथमिकता देकर, समाज शरणार्थियों के लिये अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण वशिव नरिमति कर सकते हैं।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वतित वर्ष के प्रश्न

????????

Q नमिनलखित युगमों पर वचिर कीजयि: (2016)

कभी-कभी समाचारों में रहने वाले समुदाय एवं संबंघति देश:

1. कुरद— बांग्लादेश
2. मधेसी— नेपाल
3. रोहगिया— म्याँमार

उपर्युक्त युगमों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: C

Q. "शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिये जहाँ उन्हें उत्पीडन या मानवाधिकार उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा।" खुले समाज के साथ लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले राष्ट्र द्वारा उल्लंघन किये जा रहे नैतिक आयाम के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजयि। (मेन्स 2021)

